UPMP010007882026

Presented on : 21-02-2026
Registered on : 27-02-2026
Decided on : 01-04-2026
Duration : 0 years, 1 months, 8 days

न्यायालय जिला एवम सत्र न्यायाधीश,मैनपुरी
(Presided Over by Rupesh Ranjan)

Reg no 83/2026

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या 28/2026

विनीत कुमार भारती उम्र करीब 38 वर्ष पुत्र श्री महाराम निवासी ग्राम कुम्हौल थाना किशनी,जिला मैनपुरी।

..... प्रार्थी/वादी

बनाम

अंकित कुमार पुत्र सत्यवीर निवासी पंची पोस्ट व थाना भोगांव,जिला मैनपुरी।

..... विपक्षी ।

01-04-2026

1- पत्रावली पेश हुई। पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

2- स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, ''मुझ प्रार्थी/परिवादी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद वर्तमान समय में न्यायालय श्रीमान 7 ए.सी.जे(जे.डी/जे.एम मैनपुरी के न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। मामला अतिरिक्त सिविल जज(जू.डि)/जे.एम कोर्ट नं.6 से दिनांक 16-07-2025 न्यायालय ए.सी.जे(जू.डि.)/जे.एम कोर्ट नं.7 में स्थानान्तरण किया गया था। इस मामले के सम्बन्ध में नियत तिथियों पर पत्रावली न्यायालय में नहीं मिल पाती है और बार-बार तलाशने पर कभी न्यायालय के पेशकार साहब से कभी कार्यालय लिपिक से पत्रावली को न्यायालय में पेश करने के लिए आग्रह किया जाता है परन्तु पत्रावली नहीं मिलती है। दो चार दिन बाद वह पत्रावली में आदेश पत्र पर अग्रिम तारीख नियत करके मिलती है। न्यायालय कोर्ट नं.7 ए.सी.जे(जू.डि.)/जे.एम के न्यायालय में मुझ परिवादी व परिवादी के अधिवक्ता के द्वारा मजबूरी में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने पड़ते हैं। ताकि पत्रावली पर प्रार्थी की अनुपस्थिति नहीं हो। न्यायालय कोर्ट नं.7 ए.सी.जे(जू.डि.)/जे.एम में परिवादी की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। परिवादी को न्याय से वंचित हो जायेगा और अभियुक्त को लाभ पहुँचेगा तथा तीन वर्षों से परिवादी न्यायालय में कार्यवाही हेतु आ रहा है पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है। परिवादी को पिछले महीनों हर तारीख पर न्यायालय में समय पर पत्रावली नहीं मिलती है। कार्यालय लिपिक द्वारा बताया जाता है कि यह पत्रावली को पीठासीन अधिकारी अपने पास चैम्बर में रखते हैं। अभियुक्त के आने पर वह पत्रावली तुरन्त पेश की जाती है,जिससे स्पष्ट है कि परिवादी की अनुपस्थिति में

यह केस खारिज होने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थी को न्यायालय कोर्ट नं.7 ए.सी.जे(जू.डि.)/जे.एम के न्यायालय से निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया की बिल्कुल आशा नहीं है। ऐसी स्थिति में परिवादी के केस के थाना किशनी से सम्बन्धित न्यायालय कोर्ट नं.7 ए.सी.जे(जू.डि.)/जे.एम के यहाँ से अन्य किसी भी न्यायालय में स्थानान्तरित करने की कृपा करें।''

3– प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सम्बन्धित न्यायालय से आख्या मंगायी गयी। पीठासीन अधिकारी अपर सिविल जज(अवर वर्ग)कोर्ट नं.7 मैनपुरी द्वारा स्थानांतरण प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अपनी आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार,''उक्त पत्रावली इस न्यायालय में लम्बित है,जो कि विशेषज्ञ के द्वारा अवलोकन के प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई के स्तर पर है जिसको स्थानान्तरण किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। ''

4– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया । सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी की आख्या एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5– पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या का अवलोकन किया गया । पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में यह उल्लिखित किया गया है कि''उक्त पत्रावली इस न्यायालय में लम्बित है,जो कि विशेषज्ञ के द्वारा अवलोकन के प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई के स्तर पर है जिसको स्थानान्तरण किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। ।

6– सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7– पत्रावली के अवलोकन से यह दृष्टिगोचर होता है कि पत्रावली सुनवाई के स्तर पर लम्बित है तथा उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त पत्रावली को विधि अनुसार निस्तारित किए जाने हेतु न्यायालय जे.एम/अपर सिविल जज अवर वर्ग कोर्ट नं.7 मैनपुरी से न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं.2 मैनपुरी में स्थानान्तरित किया जाता है।प्रार्थना–पत्र तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

8. आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाए।

दिनांकः01.04.2026

(रूपेश रंजन)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मैनपुरी।

RUPESH RANJAN
Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.04.01 17:18:32 +0530